



केंद्रीय सूचना आयोग/Central Information Commission
बाबा गंग नाथ मार्ग /Baba Gangnath Marg
मुनिरका /Munirka, नई दिल्ली /New Delhi - 110 067

फाइल न. CICOM/R/E/22/00333/1

दिनांक: 21.04.2022

सेवा में,

श्री हरिपाल डबास

मकान न० 553, गांव कंझावला ,
(पुराने स्टेट बैंक के पीछे)
दिल्ली-110081



विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना प्रदान करने हेतु।

महोदय,

आपका ऑनलाइन आर टी आई आवेदन दिनांक 15.04.2022 आयोग के CR-2 अनुभाग में दिनांक 15.04.2022 को प्राप्त हुआ है उसका अवलोकन करे। वांछित सूचना निम्न प्रकार है।

1. आपकी अपील संख्या CIC/ADDDM/A/2017/183132 निर्णय की तिथि 02.12.2019 पर केंद्रीय सूचना आयोग ने 15000/- रुपये का जुर्माना लोक सूचना अधिकारी /एस डी एम -कंझावला, श्री एन एस पी त्रिपाठी पर लगाया था।
 - 1.1 माननीय सूचना आयोग के रिकॉर्ड के अनुसार जुर्माना वसूल नहीं हुआ है इस विषय पर आयोग द्वारा लोक सूचना अधिकारी को दिनांक 18.2.2019 एवं 16.02.2022 को रिमाइंडर भेजे जा चुके हैं। (काँपी संलग्न)
 - 1.2 सूचना आयोग के रिकॉर्ड के अनुसार इस प्रकार का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।
2. आपकी अपील संख्या CIC/FSACA/A/2018/637252 निर्णय की तिथि 07.12.2020 पर केंद्रीय सूचना आयोग ने 10,000/- रुपये का जुर्माना लोक सूचना अधिकारी / श्री महेश गुप्ता उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग दिल्ली पर लगाया था।
 - 2.1 माननीय सूचना आयोग के रिकॉर्ड के अनुसार जुर्माना वसूल नहीं हुआ है इस विषय पर आयोग द्वारा लोक सूचना अधिकारी को दिनांक 25.11.2021 एवं 16.02.2022 को रिमाइंडर भेजे जा चुके हैं। (काँपी संलग्न)

ok

2.2 सुचना आयोग के रिकॉर्ड के अनुसार इस प्रकार का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है ।

यदि आवेदक सी पी आई ओ की उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं है तो वह श्री अजीतकुमार वसंतराव सोनटक्के, निदेशक (कानून), एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केंद्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली-110067 के यहाँ इस आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के अंदर प्रथम अपील कर सकते हैं ।

अमिता
21/4/22

(अमिता चौहान)

सीपीआईओ और अनुभाग अधिकारी

केंद्रीय रजिस्ट्री- II

टेली नं -26172690

कॉपी करें: 1. सीपीआईओ, आरटीआई सेल, सूचना के लिए सीआईसी।

W
21/4/22

